न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्वत (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 163/2024

अनवान : –

1. कालुराम पुत्र शिशराम जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।

– प्रार्थी

बनाम्

1. शिशराम पुत्र पूर्णराम जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
2. मुकेश पुत्र शिशराम जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
3. सुनील पुत्र शिशराम जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
5. शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक शाखा परलीका तहसील नोहर।
6. पंजीयक कार्यालय रामगढ़ तहसील नोहर।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– श्री कुलदीप सिंह खुडिया अधिवक्ता **सायल**
श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **गैरसायल**

निर्णय दिनांक: 28/01/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा मौजा चक 16 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स० 87/41 की कुल 2.5300 हैक्ट भूमि में से 13493/25300 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा चक 15 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 24/21 की कुल 6.5780 हैक्ट भूमि में से 5/24 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा चक 12 बारानी तहसील नोहर के खाता स० 90/84 की कुल 3.5420 हैक्ट भूमि में से 4723/35420 हिस्सा भूमि गैरसायल स० 1 के नाम दर्ज है।

उपरोक्त कृषि भूमि पूर्व में सायल के पूर्वजों के नाम दर्ज थी उनकी फौतगदी के बाद प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज हुई। गैरसायल स0 1 के नाम दर्ज भूमि पैतृक दादालाई खातेदारी भूमि है। वाद भूमि पैतृक होने के कारण वाद भूमि में सायल का जन्मजात हक हिस्सा है। वादग्रस्त कृषि भूमि में गैरसायलान सं. 1 के अकेले के नाम दर्ज होने के कारण गैरसायल स0 1 उक्त वाद भूमि को रहन बैय कर सायल को उसके हक हिस्स से महरूम करना चाहता है यदि गैरसायल अपने मकसद मे कामयाब हो गया तो अपूर्णीय क्षति सायल को उसके हक व हिस्से से वचित करने की योजना बनाते रहते है तथा सायला को उसके हक व हिस्से से वंचित कर दिया जाता है। तथा उसकी आजिविका का साधन ही खत्म हो जायेगा। तथा सायला को ना पुरा होने वाला नुक्शान होगा तथा सायला का अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी प्रकार से सम्भव नही होगी इसलिए सायला गैरसायलान के खिलाफ इस आश्ये की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कि जावे कि वादग्रस्त भूमि को रहन/बैय व मुन्तकिल करने से निषिद्ध रहे एवं मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाई रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा मौजा चक 16 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स० 87/41 की कुल 2.5300 हैक्ट भूमि में से 13493/25300 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा चक 15 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 24/21 की कुल 6.5780 हैक्ट भूमि में से 5/24 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा चक 12 बारानी तहसील नोहर के खाता स० 90/84 की कुल 3.5420 हैक्ट भूमि में से 4723/35420 हिस्सा भूमि गैरसायल स० 1 के नाम दर्ज है, में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की गैरसायल स0 1 के जीवन काल में अप्रार्थीगण का कोई हक हिस्सा नही है। गैरसायल स0 1 रिकार्डेड खातेदार है एवं रिकार्डेड खातेदार को अस्थायी निषेधाज्ञा से

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.29 11:05:57 IST
Reason: SelfAttested

Rahul उपखण्ड अधिकारी नोहर

पाबन्द नही किया जा सकता है। अतः जवाब प्रार्थना पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

बहस उभयपक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी गई। हमने प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहुचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हकों का निर्धारण मूल दावें के निर्णय में तय होना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार वादग्रस्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में रोही मौजा मौजा चक 16 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स० 87/41 की कुल 2.5300 हैक्ट भूमि में से 13493/25300 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा चक 15 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 24/21 की कुल 6.5780 हैक्ट भूमि में से 5/24 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा चक 12 बारानी तहसील नोहर के खाता स० 90/84 की कुल 3.5420 हैक्ट भूमि में से 4723/35420 हिस्सा भूमि गैरसायल स० 1 के नाम दर्ज है। प्रार्थी का कथन है कि वाद भूमि पैतृक भूमि है जिसमें प्रार्थी का जन्मजात हक हिस्सा है लेकिन अप्रार्थी स0 1 अकेले के नाम दर्ज होने के कारण अप्रार्थी स0 1 सायल को उसके हक हिस्सा से महरूम करना चाहता है। पत्रावली में प्रस्तुत रिकॉर्ड के रोही मौजा मौजा चक 16 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स० 87/41 की कुल 2.5300 हैक्ट भूमि में से 13493/25300 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा चक 15 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 24/21 की कुल 6.5780 हैक्ट भूमि में से 5/24 हिस्सा भूमि पैतृक दादालाई भूमि है जबकि रोही मौजा चक 12 बारानी तहसील नोहर के खाता स० 90/84 की कुल 3.5420 हैक्ट भूमि में से 4723/35420 हिस्सा भूमि पैतृक है के संबंध में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है इसलिए रोही मौजा 15 व 16 एनटीआर की भूमि हेतु अप्रार्थी को पाबन्द किया जाना न्यायोचित है जबकि 12 बारानी की भूमि हेतु अप्रार्थी को पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है क्योंकि प्रार्थी द्वारा 12 बारानी भूमि के दादालाई संबंधि कोई दस्तावेज पेश नही किया है। उपरोक्त विवेचनास्वरूप प्रथम दृष्टया मामला आंशिक रूप से प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है। जब प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में आंशिक सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में आंशिक सिद्ध होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के अवलोकन में प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा आंशिक साबित होने के कारण आंशिक स्वीकार किया जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण स0 1 इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि स0 1 सायल को उसके हक हिस्सा से महरूम करना चाहता है। पत्रावली में प्रस्तुत रिकॉर्ड के रोही मौजा मौजा चक 16 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स० 87/41 की कुल 2.5300 हैक्ट भूमि में से 13493/25300 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा चक 15 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 24/21 की कुल 6.5780 हैक्ट भूमि में से 5/24 हिस्सा भूमि में प्रार्थी के हिस्सा की भूमि की न्यायालय हाजा में विचाराधीन वाद का निस्तारण होने तक वादग्रस्त भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे एवं रोही मौजा चक 12 बारानी तहसील नोहर के खाता स० 90/84 की कुल 3.5420 हैक्ट भूमि में से 4723/35420 हिस्सा भूमि में जारी की गई अस्थाई निषेधाा खारिज की जाती है। पत्रावली इस कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 29.01.2026 लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.29 11:05:57 IST
Reason: SelfAttested

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर